समाचार–प्रकाशनार्थ :–

## अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर पालिक निगम ने किए विभिन्न आयोजन, रैग पिकर्स महिलाओं को सुरक्षा साधन उपलब्ध कराते हुए सम्मानित किया गया मा0 मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना

रतलाम 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर नगर पालिक निगम ने महिलाओं के सम्मान में अनेक आयोजन किए। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और मार्गदर्शन में आज सुबह जहां एक और स्वच्छता दौड़ में सैकड़ों खिलाडियों ने नगर के प्रमुख मार्गो पर स्वच्छता का संदेश दिया वही शाम को नारी शक्ति के सम्मान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर रैग पिकर्स सहित यहां मौजूद महिलाओं को आदर पूर्वक सम्मान किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिये उद्बोधन का सीधा प्रसारण नगर निगम सभागृह में किया गया जिसे निगम अधिकारी, कर्मचारी, सफाई संरक्षक, स्व सहायता समूह व रैग पिकर्स महिलाओं ने देखा व सुना।

नगर निगम सभागृह में सोमवार शाम नारी शक्ति के सम्मान में विशेष आयोजन किया गया। जिसमें स्वच्छता दीदी, रिंग पिकर्स, महिला अधिकारी–कर्मचारी और सफाई संरक्षक बहने मौजूद रही।

उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी.सिंह, स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, उपयंत्री श्री अनवर कुरेशी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी उपस्थित में आयोजित इस नारी सम्मान समारोह में आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहां कि प्राचीन भारत में नारी के सम्मान की बात को देवताओं के वास से जोड़ा गया था।

यदि सभी लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे।

श्री झारिया ने कहां कि जहां नारी होती है वहां अनुशासन रहता है। आज की नारी किसी भी कार्य को करने में पीछे नही रहती है। अगर वो ठान ले तो पहाड़ से भी रास्ता निकाल सकती है। आयुक्त ने यहां मौजूद माता–बहनों से रतलाम शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत नम्बर–1 बनाने का आव्हान करते हुए कहां कि शहर का नाम देश में ऊंचा होगा तो पूरे शहर का मान बढ़ेगा। इसलिए सभी सकारात्मक भाव से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास जारी रखे।

डिप्टी कमिश्नर श्री विकास सोंलकी ने स्वागत भाषण देते हुए महिलाओं के योगदान को दोहराया और कहां कि महिलाएं दो परिवारों को जोडकर रखती है और संवारती है। समाज,प्रदेश और देश में हर जगह महिलाओं का सम्मान जरुरी है।

कार्यक्रम में पधारे अशोक वाल्मीकि अनंत (पूर्व सदस्य राज मंत्री दर्जा प्राप्त) राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ (ट्रेड युनियन) ने मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहां कि आज महिलाओं का योगदान सडक की सफाई से लेकर आसमान में उडने वाले हवाई जहाज तक है। महिलाएं अपने अधिकारों को पहचाने, हक के लिए आगे और सामाजिक कुरितियों का त्याग कर शिक्षा से करीब का नाता रखे।

कार्यक्रम का संचालन शैलेन्द्र गोठवाल ने किया और आभार प्रदर्शन श्री मनीष तिवारी ने माना।

## महिलाओं को सम्मानित किया गया

नारी सम्मान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता दीदी, रिंग पिकर्स, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों और निगम कर्मी महिलाओं का सम्मान प्रशस्ति पत्र प्रदान किया

गया। रिंग पिकर्स महिलाओं को कचरा पृथ्कीकरण के दौरान उपयोग में आने वाले सुरक्षा साधन एप्रीन, गम बूट, कैप, हैण्ड ग्लब्स, साड़ी आदि का वितरण किया गया।

# दौड़ कर बताया स्वच्छता का महत्व

सोमवार सुबह शहर के सांईस एण्ड आर्टस कालेज मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया जिसमें शामिल सैकड़ों खिलाडियों ने दौड़ कर शहर के विभिन्न मार्गो पर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। खिलाडियों को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।

# पावर हाउस रोड पर वॉल पेंटिग से बनी ट्रेन का हुआ नामांकरण

## ट्रेन का नाम है पद्‌मश्री डॉ0 लीला जोशी एक्सप्रेस

रतलाम 10 मार्च। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने के तहत विभिन्न कार्यो के साथ नगर के विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंटिक का कार्य किया जा रहा है।

इसी कार्य के तहत जिसके तहत पावर हाउस रोड स्थित रेलवे की बाउण्ड्रीवॉल पर वॉल पेंटिग से सुन्दर ट्रेन बनाई गई जिसका अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका नामांकरण पदम्श्री डॉ0 लीला जोशी के नाम पर डॉ0 लीला जोशी एक्सप्रेस रखा गया है।

# मुखर्जी नगर की दुकानों की रजिस्ट्री प्रारंभ

रतलाम 10 मार्च। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर में निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. फ्लेट के नीचे ग्राउण्ड फ्लोअर पर निर्मित दुकानों में से ऑन लाईन निविदा के माध्यम से विक्रय की गई दुकानों की नगर निगम द्वारा रजिस्ट्री कराना प्रारंभ कर दी है।

जिसके तहत आज दुकान क्रमांक एस–5 जो कि श्री गोपाल परमार पिता अमृतलाल परमार निवासी 61 मुखर्जी नगर को आवंटित हुई है संबंधित द्वारा संपूर्ण राशि जमा कराये जाने पर नगर निगम द्वारा संबंधित को दुकान की रजिस्ट्री संपादित करा दी गई है।

इसी तरह अन्य निविदाकारों द्वारा भी संपूर्ण राशि जमा कराने पर नगर निगम द्वारा तत्काल रजिस्ट्री संपादित कराई जावेगी।

# *माहेश्वरी डिस्पोजल से 350 किलो पॉलीथीन जब्त*

### *5000 रूपये का किया जुर्माना*

### *गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 15 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन*

### *50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित*

### *उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड*

रतलाम 10 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा धानमण्डी स्थित माहेश्वरी डिस्पोजल पंहूचा जहां 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की 350 किलो पॉलीथीन पाई गई निर्देशानुसार 350 किलो पॉलीथीन को जब्त किया जाकर संबंधित पर 5000 का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा ईमरान, इनायत स्टोर व सुनील जावरा रोड, अमीन सागोद रोड पर 500–500, राजेश गीता मंदिर रोड पर 250, विजय त्रिपोलिया गेट व

**शांतिलाल महू रोड पर 100, शारदाबाई बाजना बस स्टैण्ड व एक अन्य, अर्जून त्रिपोलिया गेट, रोहन जेल रोड शैलेन्द्र, राहूल, व एक अन्य सैलाना बस स्टैण्ड पर 50–50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल–फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/– रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।**

**नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।**

**जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।**

## वार्ड 3, 7, 8, 17, 18 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य निरंतर जारी
## जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 10 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 17, 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

वार्ड क्रमांक 7, 8, 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड ओर शामिल किये जिसके तहत वार्ड 3 व 18 में 08 मार्च सोमवार से कार्य प्रारंभ किया गया जो 100 प्रतिशत सफल रहा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित बैठक में जीरो वेस्ट वार्डो में किये जा रहे कार्यो की नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों से सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया कि वार्डो की सड़कों एवं नाले–नालियों का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये साथ ही रात्रीकालिन सफाई के कार्य में पुरी निगरानी रखी जाये।

उन्होने निर्देशित किया अगर सभी टीम भावना के साथ कार्य करेंगे तो रतलाम को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता इस हेतु सफाई संरक्षक 8 घन्टे अपने कर्तव्य स्थल पर सफाई का कार्य संपादित करें। साथ ही शहर के सार्वजनिक शौचालय, मुत्रालयों की नियमित धुलाई, सफाई, कीटनाशक दवा छिड़काव, प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था रखी जाये।

इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि स्पॉट फाईन दल द्वारा अब तक जब्त की गई 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ले जाकर नष्ट किया जाये।

जीरो वेस्ट वार्ड 3, 7, 8, 17, 18 व 19 में 2–2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के

सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक–पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग–अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर को गारबेज फ्री सिटी बनाने के लिये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना किये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि सभी सड़को की स्वीपिंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वीपिंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी. एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, ब्रजेश कुशवाह, दीक्षा निजामपुरकर, सिद्धार्थ सोनी, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनील पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा आदि उपस्थित रहे।

## *सायर चबुतरा के पास 12 मार्च को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर*

### *नागरिकों ने 50,56,144/– संपत्तिकर व 11,33,350/– जलकर जमा कराया*

रतलाम 10 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/– व जलकर 86,540/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/– व जलकर 3,76,905/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/– व जलकर 76,470/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/– व जलकर 47,595/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/– व जलकर 22,680/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/– व जलकर 55,320/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/– व जलकर 59,500/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/– व जलकर

6,71,025/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/– व जलकर 19,000/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/– व जलकर 64,780/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/– व जलकर 66,715/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/– व जलकर 34,340/–, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/– व जलकर 44,230/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/– व जलकर 33,940/–, जूनि कोर्ट किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/– व जलकर 56,350/–,आनन्द कालोनी शिविर मे संपत्तिकर 86,000/– व जलकर 35,140/–, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670/–, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 69,000/– व जलकर 21,185/–, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 3,50,000/– व जलकर 66,865/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 50,56,144/– संपत्तिकर व 11,33,350/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

# अनुपस्थित 27 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

## कारण बताओ सूचना–पत्र जारी

रतलाम 10 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 09 मार्च मंगलवार को बिना सूचना के 27 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

## *स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा*

### *722 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा*

रतलाम 10 मार्च । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 09 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 722 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 09 मार्च सोमवार को अलकापुरी व महू रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा

इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

## निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

### *137 दिनों में 163 वॉल्व व 906 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण*

रतलाम 10 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 09 मार्च तक 163 वॉल्व व 906 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 09 मार्च मंगलवार को जवाहर नगर झाला चक्की के पास, मोतीनगर, कस्तुरबा नगर ऑटो स्टैण्ड व शक्ति नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही अलकापुरी टैगोर कालोनी में नया वॉल्व लगाया गया व हरमाला पम्प हाउस के 2 वॉल्व दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

## *गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन*

### *नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें*

रतलाम 10 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है

**उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।**

**नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।**

*वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही*

**रतलाम 10 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

# *गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक*

रतलाम 10 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

## *सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें*

रतलाम 10 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

# कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

## खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

## अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 10 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 10.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.